रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 1983/ अग्रहायण 9, 1905
No. 540] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 1983/AGRAHAYANA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1983

का०आ० 872(अ).—18कक/आई डी आर ए/83—भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 320(अ)/18कक/आई डी आर ए 79, तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स अपोलो जिपर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और सचिव, बंद और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 30 नवम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय समय पर, निदेश जारी किए थे [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 246(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 25 मई, 1982 का०आ० 832(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 24 नवम्बर, 1982 और का०आ० 385(अ)/18 कक/आई डी आर ए/83, तारीख 31 मई, 1983] ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए, प्रभावी बनाए रहेगा ।

[फा०सं० 2 (23)/80-सी यू एस]

ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1983

S.O. 872(E)|18AA|IDRA 83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E) 18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta, was takenover under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th November, 1983 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82 dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82 dated 24th November, 1982 and S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83 dated 31st May, 1983].

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest at the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Orders shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(23)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983